

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व

अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

- 1 रुघनाथ पुत्र लादूराम (मृतक दौराने प्रकरण)
 - 1/1 नोजी देवी पत्नी रुघनाथ
 - 1/2 गणपतलाल पुत्र रुघनाथ
 - 1/3 साधुराम पुत्र रुघनाथ
 - 1/4 सुरजाराम पुत्र रुघनाथ
 - 1/5 जगदीश पुत्र रुघनाथ
 - 1/6 जिनकी देवी पुत्री रुघनाथ
 - 1/7 कालूराम पुत्र रुघनाथसमस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 2 मु० ग्यारसी देवी बेवा गोविन्दराम (मृतक दौराने प्रकरण) (वारिसान् पूर्व में ही प्रकरण में पक्षकार हैं)
- 3 गणेश पुत्र ग्यारसी देवी
- 4 गोपाल पुत्र ग्यारसी देवी
समस्त जाति जाट, निवासी खेजरोली, तह० चौमूं, जिला जयपुर
- 5 मु० मुरली देवी बेवा गंगाबक्स (मृतक दौराने प्रकरण)
 - 5/1 बिरदी देवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
 - 5/2 मन्नी देवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
 - 5/3 विमलादेवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
(अर्जुन व रामसिंह प्रकरण में पक्षकार है)
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
- 6 अर्जुन पुत्र गंगाबक्स
- 7 रामसिंह पुत्र गंगाबक्स
- 8 मु० पतारसी बेवा रामनाथ
- 9 सुबालाल पुत्र रामनाथ
- 10 रामरतन पुत्र रामनाथ
- 11 रामसिंह पुत्र रामनाथ
- 12 शिवसहाय पुत्र रामनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामनाथ पुत्र भूरा
2. मु० रुकमा बेवा मन्शा
3. जयनारायण पुत्र मन्शा
4. रामसहाय पुत्र मन्शा
5. फूलचन्द पुत्र मन्शा
6. अर्जुनलाल पुत्र मन्शा
7. जगदीश पुत्र मन्शा
8. मुक्ती पुत्र श्योजी
9. मालीराम पुत्र नारायण
10. शंकरलाल पुत्र नारायण
समस्त जाति जाट, निवासी खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा, घोषणा, रिपोर्ट दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 125/2016

ये मुकदमा आज वास्तो इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी गिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस गिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. पतासी पत्नी रामनाथ, सुवालाल, शिवसाहाय, रामरतन, रामसिंह पिता रामनाथ जाति जाट सा० देह को ख०न० 7065 रकबा 0.15 है०, किरम चाही० 1 लगान 6.00 रूपये, ख०न० 7076 रकबा 0.30 है०, किरम चाही० 1 लगान 12.00 रूपये, ख०न० 7087/8228 रकबा 0.25 है०, किरम चाही० 1 लगान 10.00 रूपये, ख०न० 7091 रकबा 0.43 है०, किरम चाही० 1 लगान 17.20 रूपये, कुल कित्ता 4 का कुल रकबा 1.13 हैक्ट, जिसका कुल लगान 45.20 रूपये, दी जाती है।
2. रूधनाथ पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 ग्यारसी देवी पत्नी गोविन्दराम, गणेश, गोपाल पिता गोविन्द राम हिस्सा 1/3 मुरली देवी पत्नी गंगाबक्स अर्जुन रामसिंह पिता गंगाबक्स हिस्सा 1/3 जाति जाट सा०देह को ख०न० 7066 रकबा 0.23 है०, किरम चाही० 1 लगान 9.20 रूपये, ख०न० 7087 रकबा 0.04 है०, किरम चाही० 1 लगान 1.60 रूपये, ख०न० 7088 रकबा 0.16 है०, किरम चाही० 1 लगान 6.40 रूपये, ख०न० 7088/8259 रकबा 0.10 है०, किरम चाही० 1 लगान 4.00 रूपये, ख०न० 7092 रकबा 0.02 है०, किरम बारांनी 1 लगान 0.22 रूपये, ख०न० 7093 रकबा 0.40 है०, किरम चाही० 1 लगान 16.00 रूपये, दी जाती है।

बसस्त मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.12.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत _____
ओहदा _____

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	0	0
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	2		मीजान	0	0

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

हिम्मत सिंह
(आर.ए.एस.)

उपस्थान अधिकारी चौमू, जयपुर

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

भोठासीन अधिकारी :- हिम्मत सिंह, आर०ए०एस०
वाद सं. 89/2016

- 1 रुघनाथ पुत्र लादूराम (मृतक दौराने प्रकरण)
 - 1/1 नोजी देवी पत्नी रुघनाथ
 - 1/2 गणपतलाल पुत्र रुघनाथ
 - 1/3 साधुराम पुत्र रुघनाथ
 - 1/4 सुरजाराग पुत्र रुघनाथ
 - 1/5 जगदीश पुत्र रुघनाथ
 - 1/6 जिनकी देवी पुत्री रुघनाथ
 - 1/7 कालूराम पुत्र रुघनाथसमस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
- 2 मु० ग्यारसी देवी बेवा गोविन्दराम (मृतक दौराने प्रकरण)(वारिसान् पूर्व में ही प्रकरण में पक्षकार हैं)
- 3 गणेश पुत्र ग्यारसी देवी
- 4 गोपाल पुत्र ग्यारसी देवी
समस्त जाति जाट, निवासी खेजरोली, तह० चौमूं, जिला जयपुर
- 5 मु० मुरली देवी बेवा गंगाबक्स (मृतक दौराने प्रकरण)
 - 5/1 बिरदी देवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
 - 5/2 मन्नी देवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
 - 5/3 विगलादेवी पुत्री मुरलीदेवी पत्नी गंगाबक्स
(अर्जुन व रामसिंह प्रकरण में पक्षकार है)समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
- 6 अर्जुन पुत्र गंगाबक्स
- 7 रामसिंह पुत्र गंगाबक्स
- 8 मु० पतारी बेवा रामनाथ
- 9 सुवालाल पुत्र रामनाथ
- 10 रामरतन पुत्र रामनाथ
- 11 रामसिंह पुत्र रामनाथ
- 12 शिवसहाय पुत्र रामनाथ
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादी

बनाम

1. रामनाथ पुत्र भूरा
2. मु० रुकमा बेवा मन्शा
3. जयनारायण पुत्र मन्शा
4. रामसहाय पुत्र मन्शा
5. फूलचन्द पुत्र मन्शा
6. अर्जुनलाल पुत्र मन्शा
7. जगदीश पुत्र मन्शा
8. मुक्ती पुत्र श्योजी
9. मालीराम पुत्र नारायण
10. शंकरलाल पुत्र नारायण
समस्त जाति जाट, निवासी खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:- 04.12.2019


व.फ.उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.01.2002 को उक्त वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार चौमूं से दिनांक 02.06.15 को कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। कुरेजात रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है।

अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 24.01.2002 के अनुसार स्वीकार की जाती है तथा पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री की जाती है:- जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूं द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. पतासी पत्नी रामनाथ, सुवालाल, शिवसहाय, रामरतन, रामसिंह पिता रामनाथ जाति जाट सा0 देह को ख0न0 7065 रकबा 0.15 है0, किस्म चाही0 1 लगान 6.00 रुपये, ख0न0 7076 रकबा 0.30 है0, किस्म चाही0 1 लगान 12.00 रुपये, ख0न0 7087/8228 रकबा 0.25 है0, किस्म चाही0 1 लगान 10.00 रुपये, ख0न0 7091 रकबा 0.43 है0, किस्म चाही0 1 लगान 17.20 रुपये, कुल किता 4 का कुल रकबा 1.13 हैक्ट., जिसका कुल लगान 45.20 रुपये, दी जाती हैं।
2. रुघनाथ पुत्र लादूराम हिस्सा 1/3 ग्यारसी देवी पत्नी गोविन्दराम, गणेश, गोपाल पिता गोविन्द राम हिस्सा 1/3 मुरली देवी पत्नी गंगाबक्स अर्जुन रामसिंह पिता गंगाबक्स हिस्सा 1/3 जाति जाट सा0देह को ख0न0 7066 रकबा 0.23 है0, किस्म चाही0 1 लगान 9.20 रुपये, ख0न0 7087 रकबा 0.04 है0, किस्म चाही0 1 लगान 1.60 रुपये, ख0न0 7088 रकबा 0.16 है0, किस्म चाही0 1 लगान 6.40 रुपये, ख0न0 7088/8259 रकबा 0.10 है0, किस्म चाही0 1 लगान 4.00 रुपये, ख0न0 7092 रकबा 0.02 है0, किस्म बारानी 1 लगान 0.22 रुपये, ख0न0 7093 रकबा 0.40 है0, किस्म चाही0 1 लगान 16.00 रुपये, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।


हिम्मत सिंह
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर

